कार्यालयः महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0/वॉक इन इण्टरव्यू/400/2018/4779 लखनऊ : दिनांक 19/6/2018

–:: आदेश ::–

शासनादेश संख्या–1858/सेक–2–पांच–17–7(67)/2017, दिनांक 22.06.2017 एवं शासनादेश संख्या–2997/सेक–2–पांच–17–7(67)/2017, दिनांक 19.07.2017 में दी गयी शर्तों एवं अनुबन्ध के आधार पर पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में एम0बी0बी0एस0/विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति साक्षात्कार (वॉक इन इण्टरव्यू) के माध्यम से (सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग) संलग्न सूची के आधार पर 226 चिकित्सा अधिकारियों को सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिला चिकित्सालय में एक वर्ष हेतु निम्नलिखित जनपद श्रेणी वार पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनाती प्रदान की जाती है।

श्रेणी ए के जनपद– लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, अलीगढ़, गोरखपुर, बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, रायबरेली, मुरादाबाद एवं उन्नाव।
श्रेणी बी के जनपद– फैजाबाद, हरदोई, मुजफ्फरनगर, बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, कानपुर देहात, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, बिजनौर, सहारनपुर, बागपत, बुलन्दशहर, हापुड़, अम्बेडकरनगर, प्रतापगढ़, झॉसी, शाहजहॉपुर, गोण्डा, फर्रूखाबाद, रामपुर, इटावा, फतेहपुर एवं पीलीभीत।
श्रेणी सी0 के जनपद– एटा, कासगंज, कौशाम्बी, बदायूं, बहराइच, संतकबीरनगर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, गाजीपुर, मैनपुरी, सम्भल, अमरोहा, शामली, औरैया, जालौन, मिर्जापुर, बांदा, भदोही एवं अमेठी।
श्रेणी डी0 के जनपद– सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, चित्रकूट, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, चंदौली, महराजगंज एवं कुशीनगर।

क्र0सं0	श्रेणी	एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक का मासिक मानदेय	विशेषज्ञ चिकित्सक का मासिक मानदेय
1	ए	50,000	80,000
2	बी	55,000	90,000
3	सी	60,000	1,00,000
4	डी	65,000	1,20,000

संलग्न सूची :–

संलग्न सूची में अंकित चिकित्सा अधिकारियों को 15 दिन के अन्दर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिला चिकित्सालय में नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु अनुबन्ध पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

1. अनुबन्धित चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। अनुबन्ध की अवधि में उन्हें संवर्गीय पदनाम नहीं दिया जायेगा। अनुबन्धित चिकित्सकों को परामर्शी कहा जायेगा।
2. अनुबन्ध पर नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने पर यात्रा भत्ता देय होगा लेकिन अनुबन्ध के आधार पर उनकी सेवा समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा। आवेदक को 06 माह की सेवा करने के उपरान्त तृतीय ए0सी0 का किराया देय होगा।
3. अनुबन्ध पर चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा दो वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो तक के लिए किया जायेगा।

4. मानदेय पर नियुक्ति किये गये इन चिकित्सकों के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय कि इन चिकित्सकों की नियमित नियुक्ति हो जाने की स्थिति में उनकी मानदेय पर की गयी सेवाओं को सेवा सम्बन्धी (वार्षिक वेतनवृद्धि एवं एस0ए0सी0पी0) एवं सेवा नैवृत्तिक (ग्रेच्युटी आदि) लाभ हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।
5. अनुबन्ध की अवधि गुण–दोष एवं स्वस्थता प्रमाण–पत्र के आधार पर एक वर्ष के पश्चात अधिकतम एक वर्ष के लिए और बढ़ायी जा सकेगी।
6. अनुबन्ध एक वर्ष का होगा जो परफार्मेन्स के आधार पर अधिकतम् 02 वर्ष तक नवीनीकरण (Renewable) होगा।
7. सम्बन्धित चयनित चिकित्सा अधिकारियों का स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिला/महिला चिकित्सालय के स्तर से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
8. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारियों के योगदान आख्या प्रस्तुत होने के उपरान्त आदेश की पुष्टि कराये जाने के उपरान्त ही वेतन आदि का भुगतान किया जाय।
9. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारियों को महानिदेशालय के आदेश दिनांक से 15 दिन के भीतर योगदान आख्या प्रस्तुत करें। अन्यथा की दशा में आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं पर एक 10 रूपये का अनुबन्ध पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ योगदान मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिला चिकित्सालय को प्रस्तुत करना होगा।

महानिदेशालय के पत्र संख्या–वि0नि0कैम्प/2017–18/101, दिनांक 21.11.2017 द्वारा नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के मानदेय का भुगतान आय–व्यय अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अंतर्गत 01 वेतन मद से किया जायेगा।

निदेशक (प्रशिक्षण)

पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0/वॉक इन इण्टरव्यू/400/2018/ 4780-84 **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–2
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका (पुरूष/महिला) जिला चिकित्सालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित की संलग्न सूची के अनुसार चिकित्सा अधिकारियों को अनुबन्ध पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ तत्काल योगदान कराते हुए योगदान आख्या अनुबन्ध पत्र के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4. सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी।
5. गार्ड फाइल।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)